न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित चेतन देवडा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **38/2020** अपील (राजस्व)

1. श्री धनराज पिता लाला जी डांगी, निवासी–सेलु, तहसील–बड़गांव, हाल निवासी कविता तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार बड़गांव अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 17/2020 नाजायज कब्जा अन्तर्गत धारा 91 पटवारी हल्का कविता बनाम धनजी दिनांक 13.08.2020

उपस्थित : 1. श्री भूरालाल जी डांगी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः–29.11.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कविता पटवार हल्का कविता तहसील बड़गांव में स्थित आराजी संख्या 1343 रकबा 2.000 हे0 किस्म मगरी के रकबा 0.0108 हे0 भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2020 को भूमि से कब्जा हटाने तथा अपीलार्थी पर वार्षिक कर निर्धारण रू. 50 शास्ति आरोपित करते हुए भूमि से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने एवं अनाधिकृत दुकान निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा करीब 32 वर्षो से अधिक चला आ रहा है तथा अपीलार्थी का मकान बना हुआ होकर उसमें निवास कर रहा है। अपीलार्थी के द्वारा भूमि पर भारी लागत लगाया है तथा भूमि को आवादान की है जिसमें अपीलार्थी उपयोग उपभोग कर रहा है तथा प्रार्थी भूमि को अपने नाम आवंटित कराने की पात्रता रखता है। भूमि रा[illegible] नहीं है। अपीलार्थी का काफी पुराना कब्जा होकर आसपास में का[illegible] घर आबादी है तथा काफी पुराने निर्माण कार्य है जिसमें [illegible] रियाज हुसै[illegible] की भूमि की कीमत बढाने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Debra
Date: 2022.01.17 14:57:52 IST
Reason: SelfAttested

गरज से उसके द्वारा एक मिथ्या कथन कि उक्त निर्माण सड़क पर होने से यह कार्यवाही अमल में लायी गयी है जबकि उक्त भूमि सड़क की नहीं है। पडौसी कृषको का वर्णित भूमि से होकर कोई रास्ता नहीं है। अपीलार्थी की आजीविका मात्र यही मकान है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर दस्तावेज भी प्रस्तुत किये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं देकर निर्णय पारित कर दिया। यदि अपीलार्थी को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो उसकी आजीविका छिन जाएगी व परिवार के भुखो मरने की स्थिति पैदा हो जाएगी। प्रार्थी के कब्जे वाली भूमि के दोनो तरफ काफी व्यक्तियों ने निर्माण किये हुए है फिर भी मात्र प्रार्थी के निर्माण को द्वेषतापूर्ण, भेदभावपूर्ण कार्यवाही कर समानता का अधिकार को दरकिनार करते हुए उक्त कार्यवाही अमल में लायी गई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गांव का आदेश अपास्त फरमाया जाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई जो संलग्न पत्रावली है। पत्रावली पर उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील पर वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी का ग्राम कविता की आराजी सं. 1343 किस्म मगरी के रकबा 0.0108हे0 पर करीब 32 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। आबादी भूमि होकर मकान बना हुआ है उसमें निवास कर रहा है। उक्त भूमि पर भारी लागत लगाकर भूमि को आवादान की है व उसका उपयोग उपभोग कर रहा है। अपीलार्थी को अपनी साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने व समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का के कथन पर यह आदेश पारित किया जो विधि के विपरित है। अपीलार्थी 32 वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज होकर निवास कर रहा है। केवल अकेले प्रार्थी के निर्माण कार्य को ध्वस्त करने के आदेश पारित किये है जबकि आसपास अन्य व्यक्तियों के निर्माण कार्य भी है। यदि प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो वह अपने आवास व भोजन से वंचित हो जाएगा। अतः अपीलाधीन आदेश का अपास्त फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनों का विरोध करते हुए अपने तर्क में निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में अतिक्रमी भूमि बिलानाम गैरकाबिलकाश्त किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड है। यह भूमि आबादी की नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है उस पट्टे पर खसरा संख्या का कोई अंकन नहीं है। चूंकि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा अनाधिकृत होने से प्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर भूमि से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत होना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह न्यायोचित हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की [illegible] का भी अध्ययन किया गया। अपीलान्ट ने स्वयं अपील में आराजी [illegible] नं. 1343 रकबा 0.0108 हेक्टयर पर कब्जा होना बताया है। प्र[illegible] द्वारा प्रस्तुत आबादी भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:57:52 IST
Reason: SelfAttested

पट्टा दिनांक 21.03.1989 को ग्राम पंचायत थूर द्वारा जारी किया गया है परन्तु पट्टे में भूमि का खसरा संख्या का कोई अंकन नहीं है। राजस्व रेकार्ड में खसरा नं. 1343 बिलानाम गैरकाबिल काश्त किस्म मगरी/रास्ता है। आबादी भूमि नहीं है। पंचायत को उसकी पंचायत आबादी भूमि पर ही पट्टा देने का अधिकार है। यदि पंचायत द्वारा गैर आबादी भूमि का पट्टा आबादी हेतु जारी किया है तो ग्राम पंचायत की यह कार्यवाही शुरू से ही प्रभाव शून्य एवं अधिकार क्षेत्र से परे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का विनम्र मत है कि अपीलान्ट द्वारा बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म मगरी/रास्ता भूमि पर अवैध निर्माण किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा में खसरा संख्या का अंकन नहीं है जिससे यह साबित हो कि भूमि आबादी है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गांव द्वारा प्र.सं. 17/2020 धारा 91 में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2020 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:57:52 IST
Reason: SelfAttested